उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-I/4900/2025-ज०श० प्र०सु एवं प्रशि०-01 दिनांक 14-02-2025

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/वितरण/
आई०टी०/सी०पी०/वाणिज्य),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय:- कार्मिकों की FRM द्वारा दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-422-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2023-10-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/2022, दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार में तैनात/कार्यरत कार्मिकों के प्रतिदिन कार्यालय आगमन/गमन Face Recognition Machine (FRM) के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

उक्त व्यवस्था के द्वारा ही कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था दिनांक 01.06.2023 से प्रभावी हो चुकी है जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन 07 घण्टे के ड्यूटी पूर्ण होने पर, जोकि प्रातः 10 : 00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक निर्धारित है, पर ही कार्मिकों का वेतन आहरित किया जाता है। यदि किसी कार्मिक की 07 घण्टे की ड्यूटी विभिन्न कारणों यथा वयक्तिगत कारण जो कि 01 घण्टे से अधिक न हो (Personal work), कार्यालय परिसर से बाहर कारपोरेशन के कार्य हेतु जाने पर (On Duty certificate) अथवा किसी भी प्रकार का अवकाश लेने पर नहीं पूर्ण हो रही है तो वह कार्मिक अपने नियन्त्रक अधिकारी से ई०आर०पी० पर Approval लेगा जिसका प्राविधान ई०आर०पी० पर किया गया है।

किन्तु संज्ञान में आया है कि technical issues के कारण शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार में तैनात/कार्यरत कुछ कार्मिकों का आगमन/गमन के डेटा ई०आर०पी० में दर्ज नही हो पा रहा है। इससे कार्मिकों की पूर्ण माह की उपस्थिति उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित परिस्थितियों में भी नियन्त्रक अधिकारी के ई०आर०पी० पर Approval किये बगैर ही दर्ज हो रही है।

अतः अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त नियन्त्रक अधिकारियों को उपरोक्त बिन्दुओं को अवलोकित करते हुये अधीनस्थ कार्मिकों की कार्यालय में उपस्थिति FRM के (Clock-in Clock-out data) के आधार पर दर्ज किये जाने की प्रक्रिया का अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14/2/25

(गौरव कुमार)
संयुक्त सचिव (ज०श० प्रशि० एवं कार्य)

संख्या:-I/4900/2025(i)-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0-01 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर सचिव(प्रथम/ द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0-3), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार में तैनात सभी कार्मिकों का उपस्थिति का डेटा उपरोक्त विषय अनुसार जाँच कराने का कष्ट करें।
8. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अनु सचिव (विज्ञापन एवं जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

14/2/25

(गौरव कुमार)
संयुक्त सचिव (ज0श0 प्रशि0 एवं कार्य)